पत्रावली वास्ते आदेश आदिक निर्णय 30/11/17 को पेश हो।

30-11-17 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई।

वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीगण नोटिस तामील के बावजूद भी गैर हाजिर रहे हैं एवं इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही भी हो चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करावें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिंदुओं पर मनन भी किया। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act स्वीकार किया जाकर बरखिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा कोडियक तहसील आहोर के खसरा नम्बर 14 रकबा 3.03 हैक्टर आराजी में अप्रार्थीगण मूल राजस्व वाद सं० 59/17 प्रेमाराम बनाम बाबूराम के निस्तारण होने तक नाजायज रूप से बाड आदि को तोड-फोड कर उक्त आराजी में प्रवेश नही करे एवं न ही उक्त आराजी में से आवागमन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

[signature]
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला-जालोर)